न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्याः– **27/2017 अपील (राजस्व)**

श्री किरण कुमार आत्मज स्व. श्री गोटुलाल उर्फ भगवतीलाल पालीवाल, निवासी आमली, तहसील मावली, हाल घाणेराव की घाटी, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार मावली, अन्तर्गत प्रकरण संख्या 14/16 (नामान्तरकरण) निर्णय दिनांक 25.01.17

उपस्थित : श्री शान्तिलाल पामेचा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरंकार रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः–.....

अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम बनाराजगी तहसील मावली के आदेश दिनांक 25.01.17 प्रकरण संख्या 14/16 (नामान्तरकरण) से दुखी होकर प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में यह निवेदन किया गया है कि स्वर्गीय नाथुलाल पिता स्व. कालुलाल जी के नाम से राजस्व ग्राम आमली तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 532, 697, 172, 184, 185, 1794, 1795 किता 7 रकबा 37 बिघा 11 बिस्वा भुमि की अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 08.08.05 को वसीयत निष्पादित की गई। जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखो में अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण खोलने का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश द्वारा निरस्त करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारीत की गई हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा

वसीयत का प्रमाणिकरण करने वाले गवाहो के शपथ पत्र प्रस्तुत कर इसके निष्पादन को साबित कर दिया। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ इस आधार पर कि वसीयत अपंजीकृत है नामान्तरकरण के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारीत की हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.17 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निर्णय पारित किया। जिसकी कोई सुचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई। अपीलार्थी को दिनांक 08.03.17 को इस निर्णय की जानकारी होते ही उसने दिनांक 09.03.17 को अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय एवं पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं निर्णय प्राप्त कर तत्काल अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त कराया जावें एवं स्वर्गीय श्री नाथुलाल जी की वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेखो में अपीलार्थी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली को आदेशित कराया जावें।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो संलग्न पत्रावली हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वर्गीय श्री नाथुलाल पिता कालुलाल जी ब्राम्हण निवासी घाणेराव की घाटी उदयपुर द्वारा जरिये वसीयत से अपीलार्थी के पक्ष में उनके ग्राम आमली स्थित खसरा संख्या 532, 697 रकबा 0.16 बिघा, आराजी संख्या 172, 184, 185

रकबा 31.16 बिघा एवं आराजी संख्या 1794, 1795 रकबा 4.19 बिघा भुमि की वसीयत, वसीयतकर्ता श्री नाथुलाल के संयुक्त खातेदारी में जो हिस्सा दर्ज है उस हिस्से की वसीयत मुझ अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 08.08.05 को की गई। मैं अपीलार्थी वसीयतकर्ता श्री नाथुलाल जी का सगा भतीजा हुॅ। वसीयतकर्ता द्वारा मुझ वसीयतगृहिता को की गई वसीयत उनके द्वारा स्वस्थ्यचीत एवं स्थित बुद्धी की दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छापुर्वक निष्पादित कर इसे पढ़ सुन व समझकर गवाहो की मौजुदगी में अपने हस्ताक्षर कर दिये। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि वसीयत अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड वसीयत संदेहास्पद प्रतित होती हैं। इस आधार पर खारीज कर दी गई। जबकि वसीयत का रजिस्टर्ड होना कानुनन नहीं हैं। इस वसीयत पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई इसके उपरान्त भी अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर वसीयत के आधार पर वसीयत की हुई भूमि का अंकन राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के पक्ष में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह कानुन सम्मत होकर वैध हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने परिवार के अन्य किसी भी सदस्यो की सहमती अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय नाथुलाल जी के और कोई वैध वारीस एवं अन्य कोई वसीयत इत्यादि हो भी सकती हैं। अतः अपील अपीलार्थी को खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अद्योपरान्त न्यायालय का मत है कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना कानुन सम्मत नहीं हैं। स्वर्गीय वसीयतकर्ता श्री नाथुलाल जी के प्रथम श्रेणी के अन्य

वारीसानो को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिये था जिन्हे नहीं सुना गया। साथही जो भी वसीयत में जिनकी गवाही है उन्हें भी विस्तृत सुना जाना चाहिये था। जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया हैं।

अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली को प्रकरण पुनः इन निर्देशो के साथ में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पटवारी हल्का से स्वर्गीय श्री नाथुलाल जी के प्रथम श्रेणी के वैध वारीसानो की जानकारी ली जाकर उन्हें सुना जाकर वसीयत पर उपस्थित गवाहानो को भी सुना जाकर नये सीरे से पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर